

नोट : कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खण्ड से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note: Attempt five questions in all. One question from each section is compulsory. All questions carry equal marks.

(खण्ड -अ Section-A)

1. प्रशासनिक विधि को परिभाषित कीजिए तथा उसके आधारभूत सिद्धान्तों की चर्चा कीजिए।

Define. Administrative law and state its basic principles.

2. 'शक्ति पृथक्करण' के सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए तथा भारतीय संविधान के अन्तर्गत इसके प्रयोग का परीक्षण कीजिए।

Explain the theory of Separation of Power' and examine its application in Indian constitution.

3. 'वधि के शासन' से आपका क्या तात्पर्य है? इसके नये आयामों की विवेचना कीजिए।

What do you understand by 'Rule of Law'? Discuss its new dimensions.

4. भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के विकास के क्या कारण हैं ? प्रशासकीय न्यायाधिकरण एवं न्यायालय में अन्तर बताइए।

What are the reasons for the growth of Administrative Tribunals in India? Distinguish between Administrative Tribunal and Court. <http://www.rdvvonline.com>

(खण्ड -ब Section-B)

5. प्राकृतिक न्याय का क्या अर्थ है? प्राकृतिक न्याय के विभिन्न नियमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

What is meant by Natural Justice? Describe in brief the various rules of Natural Justice.

6. परमादेश लेख क्या है? इसके जारी किये जाने के आधारों का वर्णन कीजिए।

What is writ of Mandamus? State the grounds on which it can be issued.

7. प्रत्यायोजित विधायन पर न्यायिक नियंत्रण की चर्चा कीजिए।

State the judicial control on delegated legislations

8. किसी राज्य की सरकार अपने कर्मचारियों द्वारा किये गये अपकृत्यों के लिए किस सीमा तक उत्तरदायी है? पूर्ण विवेचना कीजिए।

How far the government of a state is liable for the torts committed by its servants? Discuss fully.

(खण्ड-स Section-C)

9. भारत में लोकहित वाद की अवधारणा के विकास के क्या कारण हैं ? इसकी वर्तमान स्थिति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

What are the reasons for the development of concept of Public Interest Litigation in India? Critically examine the its present position.

10. आर.जे.कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1955 सु.को. 549 के तथ्य, निर्णय एवं प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।

State the facts, decision and principles of law laid down in R.J.Kapoor V.State of Punjab A.I.R. 1955 S.C.549.